

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

### द्वितीय सत्र

वीरवार, 8 मार्च, 2018/17 फाल्गुन, 1939(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

#### 1. प्रश्नोत्तर:

##### (1) तारांकित :

दिन के लिए

} पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

##### (2) अतारांकित:

दिन के लिए

} पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

#### 2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2017-18;
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, सांख्यिकी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-4/2017 दिनांक 21.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.10.2017 को प्रकाशित;

- (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-5/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.12.2017 को प्रकाशित;
- (iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, आशुटंकक, वर्ग-III(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2017 दिनांक 18.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.12.2017 को प्रकाशित;
- (v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वर्ग-III(अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2015 दिनांक 09.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.10.2017 को प्रकाशित;
- (vi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चपरासी, वर्ग-IV(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-3/2010 दिनांक 10.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.10.2017 को प्रकाशित; और
- (vii) आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 70 व हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन, नियम 2011 की धारा 10 व 11 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 व 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

### 3. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :

डॉ० राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-

"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)A(vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

### 4. गैर-सरकारी सदस्य कार्य :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004  
दिनांक: 7 मार्च, 2018

सुन्दर सिंह वर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

द्वितीय सत्र

वीरवार, दिनांक 8 मार्च, 2018 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले  
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र०सं०	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री राम लाल ठाकुर :	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि भाखड़ा बांध विस्थापित परिवारों ने जहां-जहां पर प्रदेश की भूमि में कब्जे किए हैं उन्हें यथावत् नियमित करने हेतु नीति बनाई जाए ।"
2.	श्री अनिरुद्ध सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में बन्दरों द्वारा किसानों/बागवानों की फसलों को पहुंचाये गए नुकसान बारे कोई ठोस नीति बनाई जाए ।"

सचिव,

हि० प्र० विधान सभा ।

\*\*\*\*